विविध पत्रावली 2025/009

फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

अनुरीत कौर बनाम सुखविन्द्र कौर व अन्य

प्रकरण संख्या 2025/011

online #

अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश क्रमांक एवं दिनांक
07.02.2025	वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री भगतसिंह जाखड़ द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा विस्तृत रिर्पोट हो चुकी है, पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि हस्तगत वाद चक 3 एच छोटी, पटवार हल्का 3 एच छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 68/61 के मु. न. 37 की 2.087 हैक्टे0 रकबा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रश्नगत आराजी के संबंध में न्यायालय हाजा में पूर्व में एक वाद 2024/006 अनवानी अनुरीत कौर व अन्य बनाम अनमोल सिंह व अन्य अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आरटीए प्रस्तुत किया गया था। जिसमें वादीया की कुदरती वली माता हर्षदीप कौर द्वारा स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर यह कथन अकिंत किये कि हमारा राजीनामा हो चुका है, अतः पत्रावली में आगे कोई कार्यवाही नही चाहते है का निवेदन किये जाने पर पुर्व पत्रावली दिनांक 26.04.2024 को खारिज की जा चुकी है। हस्तगत वाद भी उसी प्रश्नगत आराजी एवं उसी वादी अनुरीतकौर जरिये कुदरती वली माता हर्षदीप कौर के द्वारा पेश किया गया है। प्रश्नगत आरजी एवं पक्षकार समान होने के कारण उक्त वाद न्यायालय हाजा में चलने लायक नही पाया जाता है वाद वादीया वर्तमान स्तर खारिज किया जाना न्यायोचित पाती हूँ। पत्रावली वर्तमान स्तर पर खारिज की जाती है पत्रावली दायरा पंजिका के क्रम से कम की जाकर निर्णय की सूचि में शामिल हो। स्वाति गुप्ता R.A.S. सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर Signature Not Verified Digitally signed by Swati Gupta Date: 2025.10.15 11:11:29 IST Reason: SelfAttested	